विपणन/नीलामी/मैनुअल/01/2018 **24 अगस्त, 2018**

<u>इलायची (छोटी) और इलायची (बडी) की मैनुअल नीलामी आयोजित करने के लिए नीलामी लाइसेंस के पुरस्कार पर विचार करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करना</u>

2017-20 की अवधि अवधि के लिए इलायची (छोटी) और इलायची (बडी) के लिए मैनुअल नीलामी आयोजित करने के लिए नीलामी लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करने हेतु प्रत्याशित उद्यमियों/ नीलामकर्ताओँ से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है।आवेदकों को ईओआई के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले नीचे दिए गए विवरण, लागू दिशानिर्देश और निर्धारित आवेदन प्रपत्रों को देखने की सलाह दी जाती है। उपर्युक्त ईओआई का कोई भी शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, संशोधन, स्पष्टीकरण इत्यादि बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा और प्रकाशित नहीं किया जाएगा। प्रत्याशित बोलीदाता समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर शुद्धिपत्र, यदि कोई है, तो उसको नोट करें ।

बोर्ड, यदि यह सार्वजनिक हित में उचित लगता है तो, किसी भी पात्रता शर्तों में बदलाव लाने या संशोधित करने या कोई भी कारण बताए बिना ईओआई को रद्द करने या किसी भी कारण के बिना ताजा ईओआई आमंत्रित करने का अधिकार रखता है ।आवेदकों को दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार मैनुअल नीलामी करने के लिए नीलामी लाइसेंस जारी किया जाएगा। दिशानिर्देशों, दस्तावेजों में उल्लिखित पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने में चूक, या दिशानिर्देशों व अपेक्षित दस्तावेज़ों के हरतरफ़ से अनुरूप आवेदन की प्रस्तुति पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं है तो वह आवेदक का दायित्व होगा और परिणामस्वरूप आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। ईओआई के लिए आमंत्रण एक प्रस्ताव नहीं है और बिना कोई प्रतिबद्धता के जारी की है।आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, यह समझा जाएगा कि प्रत्येक आवेदक को यह स्वीकार करते हुए समझा जाएगा कि उसने दिशानिर्देशों और अनुबंध, यदि कोई है, को सावधानी से पढ़ा है और सभी मौजूदा स्थितियों और सीमाओं के बारे में पूरी तरह से जान गया है । बिचौलियों के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा। इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति का उद्देश्य इलायची (छोटी) और इलायची (बडी) के लिए मैनुअल नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक उद्यमियों / नीलामकर्त्ताओं से आवेदन आमंत्रित करना है।अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।आवेदकों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

जो लोग नीलामकर्त्ता के रूप में लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि रखते हैं, वे निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में अपना ईओआई प्रस्तुत करें ।

I. सामान्य

1.ईओआई, लाइसेंस जारी करने के आवेदन, बुनियादी सुविधाओं की जानकारी के विवरण और सहायक दस्तावेजों की स्वत: प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।इन दस्तावेजों की सूची और आवश्यक विवरण इसके साथ संलग्न किए जाते हैं।

2. इच्छुक उद्यमी / नीलामकर्त्ता, आधारभूत संरचना सुविधाओं के विवरण और वर्ष भर के समर्थक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।इलायची (छोटी) और इलायची (बडी) में मैनुअल नीलामी के लिए नीलामकर्त्ता लाइसेंस प्रदान करने के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. जब कभी ईओआई आवेदन प्राप्त हो,उसकी जांच की जाएगी और लाइसेंस जारी करने के लिए आधारभूत संरचना सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा.

4. ईओआई आवेदन की प्रस्तुति नीलामकर्त्ता लाइसेंस ज़ारी करने के लिए गारंटी नहीं है। मैनुअल नीलामी चलाने का नीलामकर्त्ता लाइसेंस, आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन और लाइसेंस ज़ारी करने के लिए अवसंरचना सुविधाओं की जांच सहित नियत मानदंडों की पूर्ति के अधीन दिया जाएगा।

5. बोर्ड को उद्योग के हित के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त मानदंडों को शामिल करने का अधिकार है।

6. "वर्ष 2017-20 के लिए इलायची(छोटी)/इलायची(बडी) [जैसा कि मामला हो] केलिए मैंनुअल नीलामी चलाने हेतु नीलामकर्त्ता लाइसेंस जारी करने के लिए ईओआई" उपरिलिखित लिफाफे में अवसंरचना सुविधाओं और समर्थक दस्तावेजों की प्रतियों के विवरण के साथ भरे हुए आवेदन निम्न पते पर भेजा जाए:

श्री पी एम सुरेष कुमार
निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड
एन एच बै पास
पालारिवट्टम पीओ
कोच्ची - 682 025
केरल, भारत।

II.इलायची(छोटी) और इलायची (बडी) के लिए मैनुअल नीलामी के लिए नीलामकर्त्ता लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश

इलायची (अनुज्ञाप्तीकरण एवं विपणन) नियम 1987 और, उसके बाद समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार इलायची(छोटी) और इलायची (बडी) के लिए नीलामकर्त्ता लाइसेंस ज़ारी करने के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:-

- इलायची (छोटी) के लिए मैनुअल नीलामी केंद्र केरल और तमिलनाडु राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।
- इलायची (बडी) के लिए मैनुअल नीलामी केंद्र भारत में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।
- स्पाइसेस बोर्ड के निबंधन व शर्तों के अनुसार मैनुअल नीलामी आयोजित करने की अवसंरचना सुविधा स्थापित करना नीलामकर्त्ता की जिम्मेदारी है।
- आवेदक को, कंपनी अधिनियम, 1956 या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक चैरिटेबल सोसाइटी के तहत पंजीकृत होना होगा।
- आवेदक इलायची (छोटी) और इलायची (बडी) के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा।

॥।. सामान्य निबंधन और शर्तें

i. मैनुअल नीलामी के लिए नीलामी लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन के साथ देय शुल्क 15,000/- रु.+ 18% जीएसटी (कुल 17,700/- रु.) है। शुल्क एरणाकुलम में देय स्पाइसेस बोर्ड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाएगा। शुल्क एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से बोर्ड के खाते में प्रेषित किया जाएगा।

   स्पाइसेस बोर्ड प्राप्ति खाता संख्या: 7176002100002354
   बैंक का नाम: पंजाब नेशनल बैंक
   शाखा: वेन्नला, एरणाकुलम
   आईएफएस कोड: PUNB0717600

ii. किसी ऐसे राज्य में कोई मैनुअल नीलामी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जहां बोर्ड ने आम ई-नीलामी केंद्र स्थापित किए हैं।

iii. नीलामकर्त्ता, नीलामी की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर, कृषकों को, जिनकी इलायची को पूल किया गया है, नीलामी में बेचे जाने वाली इलायची केलिए लागू बिक्री मूल्य का भुगतान करेगा। यदि नीलामकर्त्ता, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए चूक जाता है, तो बोर्ड नीलामकर्त्ता के खिलाफ कदम उठाएगा जिसमें लाइसेंस निलंबन और / या रद्दकरण शामिल है।

iv. नीलामकर्त्ता को, बोर्ड की संतुष्टि के लिए इलायची के पूलिंग के साथ-साथ भंडारण केलिए भी आवश्यक सुविधा प्रदान करनी होगी है। ऐसे पूलिंग सेंटरों में, नीलामकर्त्ता इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों और आर्द्रता मीटर प्रदान करेगा।

v. नीलामकर्त्ता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्थान और दिन व समय पर, मैनुअल नीलामी आयोजित करेगा ।

vi. नीलामकर्त्ता पूलिंग के लिए पेश किए गए इलायची के प्रत्येक लॉट (किसान द्वारा वांछितानुसार नीलामी के लिए पूल की गई इलायची की मात्रा) से 1500 ग्राम ले लेगा और लिए गए नमूने की मात्रा को फसल पर्ची में दर्ज करके उस व्यक्ति को जारी की जानी चाहिए जिसकी इलायची पूल की गई है। लिए गए नमूने में से, 100 ग्राम खरीदार नमूने के रूप में अलग किया जाएगा और 50 ग्राम नीलामी केंद्र में प्रदर्शित किया जाएगा। शेष 1350 ग्राम बोली प्रक्रिया के दौरान उक्त लॉट में से नमूने के रूप में वितरित करने के लिए नीलामकर्त्ता द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है। नीलामकर्त्ता 1350 ग्राम इलायची (नमूने से लिए गए) का मूल्य वापस कर देगा। अत: नीलामकर्त्ता द्वारा इलायची पूल किए व्यक्ति को देय राशि, नमूना वापसी मूल्य और नीलामी में बेचे गए लॉट की कुल राशि पात्र एक प्रतिशत कमीशन की कटौती करने के बाद के मूल्य का जोड होगा। की होगी। बर्बादी, वजन में कमी, धर्मार्थ कार्य आदि के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क काटा नहीं जा सकता है।

vii. नीलामकर्त्ता बिक्री मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक का शुल्क उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कमीशन के रूप में नहीं लेगा।

viii. नीलामकर्त्ता सुनिश्चित करेगा कि नीलामी में पूल की गई इलायची किसी भी मिलावट, संदूषण और कृत्रिम रंजन से मुक्त है।